

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

168/12	भारा अंतर्गत 88, 89, 90, 188 RTA	निर्णय दिनांक 23.9.21
श्री दिनेश शर्मा उपायुक्त एवं अतिरिक्त अधिकारी	भारा	
अभिभाषक वानी श्री अतुल कुमार	अभिभाषक प्रतिवादी	महेश्वर झा

वाद शीर्षक

महेश्वर उपायुक्त नरामणलाल झांडि झांडि डिवाइस डिवाइस वद-विशेषज्ञ

1. रामदत्त उपायुक्त क.इ.प्रा.प्रा. झांडि झांडि डिवाइस डिवाइस
2. राजु लाल नथ तदुपलब्ध भांडि
3. प्रदीप कुमार उपायुक्त अतुल झांडि झांडि डिवाइस बेरींग हाथ डिवाइस वद-विशेषज्ञ

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुसृत डिक्री निर्गत की जाती है कि

वारी का वाद अतुल राजीनामा के आकार पर स्वीकृत किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार रु० का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23.9.21 को निर्गत किया गया।



उप **महेश्वर** अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	व्याज (%)		
	योग		